भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 458**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**छात्राओं द्वारा स्कूल नहीं जाना**

**458. श्री राजकुमार धूतः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के एक सर्वेक्षण में यह उजागर हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी में 40 प्रतिशत छात्राएं मासिक धर्म के दौरान घर में रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : मासिक धर्म के दौरान घर पर रुकने वाली छात्राओं के बारे में सर्वेक्षण के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

(ग) स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय समग्र शिक्षा नामक एक योजना चला रहा है जो स्‍कूली शिक्षा के लिए समेकित योजना है। यह योजना नामांकन अभियान, अवधारण एवं उत्‍प्रेरण शिविर, जेण्‍डर संवेदीकरण मॉडयूल आदि के संवर्धन के माध्‍यम से पहुंच, अवधारण एवं गुणवत्‍ता बढ़ाने पर जोर दे रही है। संबंधित राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त व्‍यवहार्य प्रस्‍ताव के तहत वित्‍तीय सहायता भी दी जाती है। 2018-19 के दौरान समग्र शिक्षा परियोजना के तहत सेनिटरी पैड वेंडिंग एवं इनसाइनेटर मशीन लगाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है।

इसके अलावा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय मुख्‍य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों के लिए माहवारी स्‍वच्‍छता संवर्धन योजना चला रहा है। प्रत्‍यायित सामाजिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यकर्ताओं (आशा) द्वारा समुदाय के अंदर तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्‍त विद्यालयों के प्‍लेटफार्म के माध्‍यम से सस्‍ती दरों पर किशोरियों को सेनिटरी नैपकिन दी जाती है।

\*\*\*\*\*